कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–1) मध्य प्रदेश,

ऑडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर 474002

दिनांक 21.03.2022 को आयोजित मध्य प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

मध्य प्रदेश की छठी राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार समिति की दूसरी बैठक श्री डी. साहू, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–1) मध्य प्रदेश, ग्वालियर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण अनुलग्नक–क में दिया गया हैं।

आरंभ में डॉ. मों सुहेल फजल, उप महालेखाकार ए.एम.जी.–1 एवं 3 तथा सदस्य सचिव–सह संयोजक ने प्रत्येक सदस्यों का अभिवादन किया। सभी बाह्य सदस्यों तथा पदेन सदस्यों ने समिति को अपना परिचय दिया। श्री डी. साहू, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–1) एवं अध्यक्ष महोदय ने राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार समिति की बैठक का उद्घाटन किया तथा समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया।

श्री डी. साहू, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–1) एवं अध्यक्ष ने अपने उद्घाटन भाषण/टिप्पणीयों में विषय आधारित अनुपालन लेखापरीक्षा, प्रत्येक स्तर पर परामर्शी प्रक्रिया तथा जिला दौरों पर जोर दिया जिसके परिणामस्वरूप विभागों ने विशिष्ट/व्यापक क्षेत्रों की लेखापरीक्षा के लिए अनुरोध किया। उन्होंने यह भी बताया कि सुशासन सुनिश्चित करने के लिए हम ऐसे विषयों को लेने का प्रयास कर रहें हैं, जो प्रासंगिक, गुणवत्तापूर्ण हैं तथा समाज के सभी वर्गों से संबंधित हैं।

उन्होंने हाल हीं में पेश की गई डायल 100 रिपोर्ट का भी जिक्र किया और बताया कि रिपोर्ट मध्य प्रदेश शासन द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार की गयी है। उन्होंने यह भी बताया कि डायल 100 का विषय पहले कभी नहीं लिया गया था तथा पहली बार इस कार्यालय ने इस विषय को लिया है। प्रेस और मीडिया ने डायल 100 के बारें में व्यापक रूप से रिपोर्ट किया है। उन्होंने आगे बताया कि लोक केन्द्रित लेखापरीक्षा का चयन करने का प्रयास किया जा रहा हैं और जलापूर्ति प्रबंधन पर रिपोर्ट का उदाहरण दिया जिसमें उन्होंने बताया कि जलापूर्ति की नियमितता, पर्याप्तता एवं जलापूर्ति की गुणवत्ता कुछ संकेतक थे। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारें में भी जानकारी दी जहां प्रसाद की गुणवत्ता की जांच करने के लिए महाकाल मंदिर, उज्जैन एवं मैहर, सतना से खाद्य नमूने लिए गए थे।

उन्होंने आगे, बाह्य सदस्यों से वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2022–23 में प्रस्तावित विषयों पर सुझाव/निविष्टियां देने का आग्रह किया तथा यह भी कहा कि वे आगामी लेखापरीक्षा योजनाओं के लिए अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर अपनी पसंद के अन्य विषयों का भी सुझाव दे सकते हैं।

स्वागत भाषण के पश्चात् श्री जितेन्द्र तिवारी उप महालेखाकार/ए.एम.जी. 5 तथा प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–1) ने कार्यालय की संक्षिप्त लेखापरीक्षा रूपरेखा एवं वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2022–23 (अनुलग्नक ख के रूप में संलग्न) में समाहित विषयों पर समिति के सदस्यों के समक्ष पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् डॉ. मो सुहेल फजल, उप महालेखाकार ए.एम.जी.–1 एवं 3 तथा सदस्य सचिव–सह–संयोजक ने विषयों पर प्रस्तुति दी उसके पश्चात् श्री संजय साहू, उप महालेखाकार ए.एम.जी.–2 एवं 4 ने प्रस्तुति दी।

ग्वालियर कार्यालय की प्रस्तुती के पश्चात् श्री बी.बी.भीरूड, उप महालेखाकार ए.एम.जी.–3 ने वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2022–23 के विषयों पर कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा –2), मध्य प्रदेश, भोपाल की पी.पी.टी. को प्रस्तुत किया। विषयों का विवरण अनुलग्नक–ग के रूप में संलग्न है।

दोनों हीं कार्यालयों की वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2022–23 के विषयों पर प्रस्तुति के दौरान सदस्यों द्वारा सुझाव/ निविष्टियां निम्नलिखित विषयों पर दी गई :–

1.मध्य प्रदेश के प्रमुख भाहरों में ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली की लेखापरीक्षा विषय पर

श्री डी. साहू, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–1) एवं अध्यक्ष महोदय ने समिति को अपर पुलिस निदेश (ट्रैफिक) मध्य प्रदेश द्वारा दी गई प्रस्तुति के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है तथा मृत्यु दर भी अत्यधिक थी जब मध्य प्रदेश जिसकी जनसंख्या लगभग 07 करोड़ हैं, की तुलना उत्तर प्रदेश जिसकी जनसंख्या लगभग 24 करोड़ के आसपास हैं, से की गई । उन्होंने आगे बताया कि दुर्घटनाओं का 50 प्रतिशत दोपहिया उपयोगकर्ताओं का है। प्रत्येक वर्ष वाहनों की भीड़ तीव्र गति से बढ रही है। उन्होंने आगे जोड़ा/ कहा कि फिजी के अलावा ट्रैफिक प्रबंधन पर लेखापरीक्षा किया जाना ज्ञात नहीं है।

उन्होंने आगे बताया कि सड़कों के सुधार के बाद से दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, क्योंकि संभवतः लोगों में ट्रैफिक यातायात की समझ नहीं बदली है। इस संदर्भ में आई.ई.सी. गतिविधियॉ नगण्य थीं।

उन्होंने यह भी कहा/बताया कि राष्ट्रीय राजपथ नियमों के अनुसार ट्रक्स को हमेशा बाएं वाले पथ पर चलना चाहिए जबकि वे हमेशा सबसे दाएं वाले पथ पर चलती हैं। उन्होंने बताया कि कुछ ट्रक्स चालकों से बातचीत के दौरान, उनके द्वारा बताया गया कि गांववाले, साइकिल चालक एवं अन्य लोग बाएं तरफ चलते हैं, जिससे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। उन्होंने सड़को पर पशुओं के होने के प्रकरण पर भी जोर दिया जिसके कारण अनेक दुर्घटनाएं होती हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि द्वि–पहिया वाहकों के लिए एक पृथक लेन पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे कि दुर्घटनाएं काफी कम हो जाएं।

श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त आई.ए.एस. ने उपर्युक्त विषय पर सुझाव/निविष्टियां दी, जैसा कि नीचे वर्णित हैं :–

उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने राजमार्गो से शराब की दुकानों को हटाने का आदेश दिया है, क्योंकि इससे दुर्घटनाएं होती हैं तथा इस संदर्भ में एक समिति गठित की हैं। इसलिए हमें निदेर्शो/अनुशंसाओं का एक प्रभावी मूल्यांकन करना चाहिए, कि क्या दुर्घटनाएं वास्तव में कम हुई हैं क्योंकि राजमार्गों से शराब की दुकाने हटाने से राज्य शासन का राजस्व प्रभावित होता हैं।

वाहनों की भीड़ को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए तथा तदनुसार प्रत्येक शहर के संदर्भ में वाहनों की क्षमता की एक सीमा होनी चाहिए जैसा कि कुछ विकसित देशों द्वारा किया गया है।

लेखापरीक्षा के दौरान जागरूक योजना बनाई जानी चाहिए तथा सड़कों पर अतिक्रमणों के मामलों को भी देखा जाना चाहिए तथा क्या उपयुक्त स्तरों पर ट्रैफिक प्रबंधन समितियां बनाई गई थी या नही, यह भी देखा जाना चाहिए। उन्होंने ट्रैफिक प्रबंधन के बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के प्रभाव का मूल्यांकन करने पर भी जोर दिया क्योंकि यह भारतीय सड़क परिस्थिति के लिए शायद बहुत उपयुक्त ना हो।

उन्होंने ट्रैफिक प्रबंधन समितियों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर जोर दिया जहॉ राज्य, प्रभागीय, जिला एवं उप–संभागीय समितियॉ बनाई गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान सड़क के उपनगरीय नियंत्रण के प्रकरण को भी देखा जाना चाहिए । उन्होंने सड़क सुरक्षा के लिए निधि के उपयोग पर भी ध्यान देने की बात की।

श्री राहुल नोरोन्हा, सह–संपादक, इंडिया टुडे ने उपयुर्क्त विषय पर सुझाव/निविष्टियां दी जैसा कि नीचे वर्णित हैं :–

लाईसेंसिंग (लाईसेंस प्रदान करना) प्रकिया के प्रकरण की जॉच की जानी चाहिए क्योंकि बहुत/बड़ी संख्या में लोग क्षेत्रीय यातायात कार्यालय द्वारा बिना परीक्षा/जॉच किए ही लाईसेंस प्राप्त कर लेते हैं। जिससे दुर्घटनाएं होती हैं।

उन्होंने यह भी बताया/कहा कि उपयुर्क्त विषय पर लेखापरीक्षा संचालित करते समय सड़कों की ट्रैफिक वहन करने की क्षमता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ना कि केवल शहर की ट्रैफिक क्षमता पर।

उन्होंने महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोगिता वाले स्थानों पर वाहनों की पार्किंग के लिये पर्याप्त जगह की महत्ता पर भी जोर दिया तथा क्या सडक की डिजाईन करते समय पैदल चलने वालों एवं दिव्यागों के अनुकूल सडक बनाने पर ध्यान दिया गया है।

उन्होंने आगे सुझाव दिया कि सड़कों पर पैदल चलने वालों के लिए स्थान की पर्याप्त व्यवस्था सहित सड़कों के निर्माण के लिए उचित अनुमति तथा भूमि के उपयोग का पता लगाया जाना चाहिए।

श्री परशुराम तिवारी, सामाजिक विशेषज्ञ ने सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एन.जी. ओ. को दी गई वित्तीय सहायता की जॉच करने का सुझाव दिया क्योकि यातायात विभाग द्वारा इन एन.जी. ओ. को परियोजनाओं हेतु जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण निधियॉ आवंटित की जाती हैं।

श्री योगेश कुमार, कार्यकारी निदेशक, समर्थन ने उपयुक्त विषय पर सुझाव/निविष्टियां दी, जैसा कि नीचे वर्णित हैं :–

उन्होंने साइकल चालकों का एक सर्वेक्षण संचालित करने तथा उन्हे ट्रैफिक नियमों के बारें में संवेदनशील बनाने और जागरूकता सृजित करने पर जोर दिया, जिससे कि दुर्घटनाओं से बचा जा सकें। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए लोगों के लिए एक अंर्तनिहित तंत्र होना चाहिए तथा उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना चाहिए।

सर्वेक्षण के लिए उन्होंने ट्रैफिक प्रबंधन के संबंध में विशिष्ट संकेतकों के साथ सहभागी उपकरण या रिपोर्ट कार्ड तैयार करने का सुझाव दिया।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अत्यधिक ट्रैफिक वाले समय के दौरान जनशक्ति प्रबंधन पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ट्रैफिक प्रबंधन के लिए पर्याप्त जनशक्ति तैनात की गई हैं।

उन्होंने सख्त निगरानी प्रणाली पर भी जोर दिया क्योकि लाईसेंस और अन्य प्रकरणों की जॉच में पुलिस कार्मिकों का ढुलमुल रवैया था। लोग सामान्यतः उन्हें घूस देते हैं और ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करते हैं।

सुश्री वैशाली चौधरी, अध्यक्ष, स्वयं सहायता समूह ने कहा कि लेखापरीक्षा को कुछ विशिष्ट अनुशंसाए करनी चाहिए, ताकि यातायात नियमों का कड़ाई से पालन किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि यातायात पुलिस द्वारा वाहनों पर स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारों की अनदेखी की जाती है और साथ ही ट्रक और ट्रैक्टर सामान्य रूप से यातायात नियमों की अवहेलना करते हुए ओवरलोडेड दौड़ते हैं।

श्री जितेन्द्र तिवारी उपमहालेखाकार/ए.एम.जी. 5 एवं प्रशासन ने ट्रैफिक नियमों के गैर–अनुपालन के प्रकरणों पर जोर दिया क्योंकि बड़ी संख्या में चालान ट्रैफिक नियमों का पालन ना करने के लिए जारी हुए थे। उन्होंने बोर्ड को सूचित किया कि अधिक मात्रा में चालान की राशि लंबित थी जिसमें चालान की मात्रा धीरे–धीरे बढ़ रही है। उन्होंने इस संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा इंदौर में जारी एक लेखापरीक्षा कण्डिका का भी उदाहरण दिया जो कि लगभग 04 करोड़ की थी।

इस विषय पर अंतिम चर्चा के दौरान श्री डी. साहू प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा–1 एवं अध्यक्ष ने कहा कि उपलब्ध डाटा जिसे आगे प्रमाणित किया जाना है, के अनुसार ट्रैफिक विभाग में 50 प्रतिशत रिक्तियां हैं और उपलब्ध 50 प्रतिशत में से 30 प्रतिशत मुख्यतः वी.आई.पी. कर्तव्य पर हैं। उन्होंने समिति को यह भी सूचित किया कि मध्य प्रदेश में यदि कोई महिला चालक हेलमेट नहीं पहनती है तो यह अपराध नहीं है क्योंकि अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने शहरों के मुख्य चौराहों पर अस्पताल खोलने/निर्माण करने की

अनुमति के प्रकरण को भी उठाया क्योंकि इससे ट्रैफिक अधिक बढ़ती है और इससे हर तरह से बचना चाहिए।

2. मध्य प्रदेश में उर्वरकों के प्रबंधन एवं वितरण पर लेखापरीक्षा विषय पर सदस्यों ने सुझाव/निविष्टयॉ दी जो कि नीचे वर्णित हैं:–

श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव ने उर्पयुक्त विषय पर सुझाव/निविष्टयॉ दी जो कि नीचे वर्णित हैं:–

पर्याप्त एवं प्रभावी योजना बनाई जानी चाहिए । उन्होने कहा कि लक्ष्य सामान्यतः शीर्ष स्तर पर पिछले लक्ष्यों में दस प्रतिशत की वृद्धि के साथ निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए यह जिला स्तर पर तय किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि लक्ष्यों को हासिल करना ही एकमात्र मानदंड नहीं होना चाहिए, प्रथमतः यह आवश्यकता पर आधारित तथा किसानों के हित में होना चाहिए। अतः पहले आवश्यकताओं का आंकलन किया जाना चाहिए तथा लेखापरीक्षा के दौरान इन प्रकरणों की जांच की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से बचने के लिए जैव–उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित और उल्लेखनीय रूप में बढ़ाया जाना चाहिए। रसायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को उचित स्तरों पर रोका जाना चाहिए। आगे उन्होंने यह भी कहा कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए शासन द्वारा उठाए गए कदमों को इस दृष्टिगत देखा जाना चाहिए कि क्या "नीम" लेपित यूरिया से वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं।

उन्होंने कहा कि सभी सब्सिडी सहायता रासायनिक उर्वरकों पर प्रदान की जाती हैं तथा जैव– उर्वरकों पर कोई सब्सिडी सहायता प्रदान नहीं की जाती हैं। अतः इसकी लागत एवं इसमें लगने वाले श्रम के कारण किसानों का झुकाव इसके प्रति कम हैं। इसलिए आई.ई.सी. गतिविधियों के माध्यम से किसानों को जैव–उर्वरकों के लाभों से अवगत कराया जाना चाहिए और अधिकतम जागरूकता सृजित करनी चाहिए।

उन्होंने कृषि स्तरीय योजना/उर्ध्वगामी योजना पर जोर दिया जहां खसरा पर आधारित किसानों से निविष्टयॉ ली जा सकें, उन्हे कौन से उर्वरक की आवश्यकता है और किस समय उन्हें आवश्यकता है। प्रधानमंत्री के किसानों की आय को दुगना करने के लक्ष्य को ध्यानगत करते हुए उन्होंने आगे कहा कि प्रथमतः हमें किसानों की लागत का आंकलन करना चाहिए। उन्होंने यह पता लगाने के लिए भी कहा कि क्या किसानों की मांगें पूरी हुई हैं अथवा नहीं।

उन्होंने आगे कहा हैं कि उर्वरकों के उपयोग पर प्रभावी आंकलन के लिए स्व–सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

श्री राहुल नोरोन्हा, सह–संपादक, इंडिया टुडे ने उपर्युक्त विषय पर सुझाव/निविष्टयां दी जो कि नीचे वर्णित हैं:–

लेखापरीक्षा को उर्वरकों की कम आपूर्ति और विलंबित आपूर्ति के कारणों पर ध्यान देना चाहिए तथा कहा कि रासायनिक उर्वरक मुख्यतः भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

उन्होंने यह भी कहा कि उर्वरकों पर सब्सिडी देने के भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का पता लगाना/जॉच किया जाना चाहिए । आगे मिट्टी की जॉच करने वाली प्रयोगशालाओं के कार्यपद्धति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार की योजना जैव खेती के उपयोग को बढ़ाना और बढ़ावा देना है, अतः जैव–उर्वरकों को सब्सिडी प्रदान करने की सरकार की नीति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए तथा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसके लिए उचित निधि निर्धारित की जाती है।

सुश्री भक्ति शर्मा, सरपंच बारखेडी ने कहा कि मिट्टी की जॉच करने वाली प्रयोगशालाओं में पर्याप्त वैज्ञानिक नहीं हैं, अतः इन संस्थानों की भी लेखापरीक्षा की जानी चाहिए । उन्होंने यह भी कहा कि किसान परिणामों

एवं निदेशों को पढ़ने के लिए उतने पढे–लिखे नहीं हैं अतः यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस संबंध में पर्याप्त जागरूकता सृजित की जाए तथा आई.ई.सी. गतिविधियॉ उचित रूप से बढ़ाई जाए।

श्री डी. साहू, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–1) ने आश्वस्त किया कि लेखापरीक्षा के क्रम के दौरान मिट्टी जॉचने वाली प्रयोगशालाओं सहित सभी प्रकरणों पर घ्यान दिया जाएगा मिट्टी में नाइट्रेट के स्तर की जॉच के प्रकरण भी जांच की जाएगी तथा कमियों के कारण और अन्य प्रकरणों को ड्राफ्ट रिपोर्ट में उचित रूप से उजागर किया जाएगा।

श्री योगेश कुमार, कार्यकारी निदेशक, सर्मथन ने उपर्युक्त विषय पर सुझाव/निविष्टियॉ दी जो कि नीचे वर्णित हैं:–

उन्होंने कहा कि सब्सिडी के लाभ जो छोटे और बड़े किसानों द्वारा लिये जा रहे हैं, के प्रकरण देखे जाने चाहिये। आगे उन्होंने कहा कि जैव उर्वरकों पर सब्सिडी होनी चाहिये।

उन्होंने कहा कि उर्ध्वगामी मांग सृजन होनी चाहिए तथा ग्राम पंचायत विकास योजना कृषि विभाग के वार्षिक योजनाओं के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्राथमिकताएं बदलने की आवश्यकता है तथा अंततः किसान लाभार्थी होना चाहिए अतः इस संबंध में लिए गए कदमों का पता लगाना चाहिए।

सुश्री वैशाली चौधरी, अध्यक्ष, स्वयं सहायता समूह ने कहा कि जैविक खैती पर जोर को बढ़ाया जाना चाहिए । वर्मीकम्पोस्ट या केचुंआ खाद एवं गोबर खाद के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से सब्सिडी प्रदान करने पर ध्यान केंदित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कृषि अनुसंधान केन्द्र पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्कता है। अनुसंधान स्तर पर किसान विकास केन्द्र मॉडलों पर भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि सामुदायिक स्तर पर डिजिटाईजेशन में वृद्धि करने के द्वारा सकारात्मक परिवर्तन एवं प्रभावी नियंत्रण देखी जा सकती थी।

श्री डी. साहू प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–1) ने चर्चा में जोड़ा कि सृजित वेस्ट सृजन बिंदू पर अपने आप परिवर्तित हो जानी चाहिए तथा एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए जिसमें सरकार स्वयं इसे कय कर उपयुक्त स्तरों पर वितरित करे।

3. भू–भूमि राजस्व की लेखापरीक्षा विषय पर सदस्यों ने सुझाव/निविष्टयॉ दी जो कि नीचे वर्णित हैं:–

श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव ने उपर्युक्त विषय पर सुझाव/निविष्टयॉ दी जो कि नीचे वर्णित हैं:–

उन्होंने कहा कि भू–भूमि राजस्व के लिए विभाग द्वारा तय किए गए लक्ष्य तार्किक नही हैं अतः लेखापरीक्षा को इस पर ध्यान देना चाहिए तथा विभाग द्वारा लक्ष्यों को निर्धारित करने की प्रकिया का पता लगाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि लेखापरीक्षा क्रम के दौरान लगान तय करने की प्रकिया भी देखी जानी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि खसरा पॉच वर्षों के लिए है। छठे वर्ष में खसरा की प्रविष्टियों में परिवर्तन हैं, विशेषतः भूमि के उपयोग में जब उसकी तुलना पॉचवे वर्ष के खसरा से की गई। भू–राजस्व में अंतर को ध्यानगत रख उन्होंने आगे कि एम.पी.ई.बी. नगर निगम (संपत्ति कर डाटा से) के डेटा सेट्स की भी तुलना की जानी चाहिए क्योकि उसमें काफी अंतर हैं।

उन्होनें कहा कि बी–7 वर्षो से अद्यतन नहीं किया गया हैं तथा धारा 248–250 भूमि अतिक्रमण का लेखापरीक्षा में पता लगाया जाना है।

श्री राहुल नोरोन्हा, सह–संपादक, इंडिया टुडे ने कहा कि भूमि विवाद के कई प्रकरण वर्षो से लंबित है, अतः विभाग द्वारा इन विवादों को समाप्त करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना किया चाहिए तथा लेखापरीक्षा को इस प्रकरण का जॉच करना चाहिए।

श्री योगेश कुमार कार्यकारी निदेशक, समर्थन ने बताया कि भूमि राजस्व में पंचायती राज संस्थानों की भूमिका देखी जानी है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि क्या भूमि राजस्व में पंचायती राज संस्थानों को दिये गये प्राधिकारों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है या ये प्राधिकार वापस ले लिये गये हैं, लेखापरीक्षा में इसका की जाँच किया जाना चाहिए।

4."प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता" पर लेखापरीक्षा विषय पर सदस्यों ने सुझाव/निविष्टियां दी जो कि नीचे वर्णित है :–

श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए वित्तीय सहायता की वास्तविक समस्या लोकवादी दबाव है जो कि संवेदनशील रूप से निपटाया जाना चाहिए।

श्री राजीव दुबे, सी.ए. ने बताया कि वित्तीय सहायता प्रदान करने के मापदण्ड स्पष्ट होने चाहिए और प्रकाशित किये जाने चाहिये। अतः आई.ई.सी. गतिविधियों में महत्वपूर्ण वृद्वि होनी चाहिए तथा जनता को सरकार/विभाग द्वारा तय मानदंड से अवगत कराया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा क्रम के दौरान इस प्रकरण का जाँच किया जा सकता है।

5."प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं मोहनपुरा एवं कुंडलिया" पर लेखापरीक्षा विषय पर सदस्यों ने सुझाव निविष्टियों दी जो कि नीचे वर्णित हैं:–

आरंम्भ में श्री डी. साहू, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–1) एवं अध्यक्ष ने सूचित किया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस परियोजना का दौरा किया था जिसमें उन्हें एक प्रस्तुती दी गई थी। उन्होंने सूचित किया कि वर्तमान में 15 समान परियोजनाएं जारी हैं तथा सूचित किया कि पाइप से जलापूर्ति के कारण इस परियोजना में वाष्पीकरण क्षय उत्पन्न नहीं होता तथा भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता भी उत्पन्न नहीं होती है। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि लेखापरीक्षा प्रभावी विश्लेषण (इम्पैक्ट एनालिसिस) की जांच करेगी जो कि फसल विविधिता के सदर्भ में भी की जाएगी।

लेखापरीक्षा वांछित परिणाम प्राप्त हुए या नहीं के प्रकरण भी देखेगी क्योंकि मात्र 60–70 प्रतिशत सिचांई ही कवर की गई है, इस संबंध में कारण भी विश्लेषित किए जाएंगे कि क्यों बाकी 30 प्रतिशत की सिंचाई नहीं की जा सकी। उन्होने यह भी बताया कि इस परियोजना के कारण राजगढ जिला से राजस्थान को पलायन सारभूत रूप से कम हुआ है, जो कि इस परियोजना का एक सकारात्मक परिणाम है।

श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि क्या लागत लाभ अनुपात परियोजना का औचित्य साबित करने के लिए तैयार किया गया था, इसका अन्वेषण किया जाना चाहिए तथा यह भी देखा जाना चाहिए क्या अभिप्रेत लाभ अंततः किसानों को प्राप्त हुए और प्रतिवेदन में उचित रूप से लाया गया। उन्होंने परियोजना में लागत और समय वृद्वि के प्रकरणों पर भी ध्यान देने को कहा।

श्री योगेश कुमार, कार्यकारी निदेशक, समर्थन ने यह पता लगााने/अन्वेषण करने का सुझाव दिया कि क्या परियोजना ने निवेश पर परिणाम दिए है तथा लागत में वृद्वि के मुद्दों को लेखापरीक्षा अवधि के दौरान शमिल किया जा सकता है।

6."केंद्रीय वित्त आयोग तथा एम.जी.एन आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों में संपत्ति सृजन" पर लेखापरीक्षा विषय पर सदस्यों ने सुझाव/निविष्टियां दी जो कि नीचे वर्णित है।

श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव ने उपयुर्क्त विषय पर निम्नलिखित सुझाव/निविष्टियां दी :–

उन्होंने कहा कि एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. एक रोजगार सृजन योजना है तथा एम.जी.एन आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत नियमावली के अनुसार संपत्ति सृजन अंतर्गत 163 अनुमत्य गतिविधियां हैं जिन्हें संपत्ति के रूप में वर्गिकृत किया जा सकता है। यदि अनुमत्य मदों के अलावा कोई संपत्ति सृजित की जाती है, तो भारत सरकार की स्वीकृति आवश्यक है।

उन्होंने यह भी कहा कि एम जी एम.जी.एन आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत अनुमत्य कार्यो की सूची में ग्रामीण स्वास्थ्य अधोसंरचना को भी शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि कुशल ग्रामीण स्वास्थ्य सुनिश्चित हो जो कि संपत्ति सृजन के भाग के रूप में शामिल किया जा सके।

आगे उन्होंने कहा कि ज्यादा ध्यान सामाजिक लेखापरीक्षा पर होना चाहिए कि क्या सृजित सम्पत्ति का उपयोग उस उद्देश्य के लिये हो रहा है जिसके लिये वे सृजित की गई हैं, क्या सामाजिक उद्देश्य पूर्ण हुए हैं। उन्होने यह भी सूचित किया कि मध्य प्रदेश में मशीनों से ज्यादा ध्यान श्रमिकों पर था। उन्होंन इस बात पर भी जोर दिया कि योजना के अर्न्तगत निधि का प्रवाह निर्बाध होना चाहिये। मजदूरी दर के प्रकरणों का भी अन्वेषण किया जाना चाहिए क्योंकि पड़ोसी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश की मजदूरी दर भिन्न है।

उन्होंने समिति को सूचित किया कि यदि एम जी.एन.आर.ई.जी.ए. योजना नहीं होती, तो कोरोना का प्रभाव आर्थिक एवं भूख के बिंदू पर भयांवह रहा होता।

वाटरशेड योजना के मद्देनजर उन्होंने यह देखने को कहा कि क्या जल स्तर बढा है या नहीं, क्या वाटरशेड कार्यों में रिज वैली ट्रीटमेंट किया गया हैं, यह देखा जाना चाहिए।

श्री राजीव दुबे, सी.ए. ने सुझाव दिया कि एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. एवं सी.एफ.सी. केवल तभी साथ लिये जा सकते है जब दोनों हीं योजनाओं में निधियों का प्रवाह निर्बाध हो।

श्री योगेश कुमार, कार्यकारी निदेशक समर्थन ने कहा कि एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. के अन्तर्गत 60:40 के अनुपात के साथ छेड़छाड नहीं की जानी चाहिए तथा लेखापरीक्षा में इस पहलू को देखा जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि संस्थागत तंत्र को सदृढ़ किया जाना चाहिए, पंचायत को सशक्त किया जाना चाहिए तथा जिला आयोजना समिति को भी शामिल किया जाना चाहिए।
उपर्युक्त पर भी श्री डी.साहू, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–1) एवं अध्यक्ष ने कहा कि हमने हाल ही में निधियों, कार्यों एवं पदाधिकारियों के संबंध में 73 वें संशोधन अधिनियम पर लेखापरीक्षा संचालित की हैं तथा प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

सुश्री भक्ति शर्मा, सरपंच, बारखेडी ने बताया कि लेखापरीक्षा को योजना के पहलू के अंतर्गत देखना चाहिए क्योंकि किसी भी संपत्ति के निर्माण से पूर्व उचित योजना होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा हैं कि सेप्टिक टैंक्स के प्रकरण पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह एक समयावधि में भर सकते हैं तथा संपत्ति सृजन के मामलों को देखा जाना चाहिए इससे पूर्व कि कोई बड़ी समस्या सृजित हो जाए।

श्री परशुराम तिवारी, सामाजिक विशेषज्ञ ने सुझााव दिया कि लेखापरीक्षा को यह देखना चाहिए कि योजना के कियान्वयन में व्यवस्थित प्रकिया एवं उसकी अनुपालना सुनिश्चित की गई हैं।

श्री डी.साहू, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–1) एवं अध्यक्ष ने सूचित किया कि सी.ए.जी. ने ग्रम स्तर पर परिणाम जानने कि इच्छा जाहिर की हैं कि क्या सच में परिवर्तन हुआ हैं या नही। उन्होंने आगे पी.आर.आई. की लेखापरीक्षा के लिए जिला प्रखण्ड स्तर पर लेखापरीक्षा कार्यालयों के खुलने की सूचना दी। यह डी.एल. एफ.ए. के कार्मिकों को कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–1) के कार्मिकों के साथ समकालिक लेखापरीक्षा–सह–प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा।

उन्होंने समिति को यह भी बताया कि मजदूरी सूची तैयार करने में निधि अंतरण आदेश बनाने में एफ.टी.ओ. के हस्ताक्षर करने में विलंब था, श्रमिकों को वेतन केडिट करने में 1 से 435 दिवसों का विलंब था, इस पर श्री एम. के. श्रीवास्तव ने सूचित किया कि वेतन के भुगतान मे भी छह से आठ माह का विलंब है।

आगे उन्होने उपयुक्त स्तरों पर प्रतिवेदनों के विचार विमर्श का प्रकरण उठाया, इस पर श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस पर जिला पंचायत स्तर पर चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि यह संवैधानिक इकाई भी है।

आगे श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव ने पंचायत स्तर पर वसूली के प्रकरण पर सूचित किया कि, यदि वसूली संभव नहीं हो तो पंचायत अधिनियम में प्रावधान है कि तहसीलदार उनकी तरफ से भूमि राजस्व द्वारा राशि की वसूली करेगा।

श्री डी.साहू, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–1) ने इस प्रकरण को विषय में जोड़ने को कहा कि कार्मिक भू–राजस्व की वसूली में लगाए जा सकते थे।

7."मध्यप्रदेश के विद्यालयों में सी.एम.उत्थान योजना" पर लेखापरीक्षा विषय पर सदस्यों ने निम्नानुसार सुझाव एवं निविष्टियां दी :–

श्री डी.साहू, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–1) ने योजना के बारे में संक्षिप्त में बताया कि एक आदर्श/मॉडल विद्यालय तैयार किया जाएगा तथा विद्यार्थियों को यातायात की सुविधा प्रदान की जाएगी और सभी छोटे एवं आसपास के विद्यालयों का इस विद्यालय में विलय किया जाएगा।

आगे नगन्य व्यय तथा हाल ही में आरंभ की गई योजना को देखते हुए समस्त राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों ने सर्वसम्मति से कहा कि इस विषय को वर्तमान वार्षिक ऑड़िट प्लान (ए.ए.पी.) 2022–23 से स्थगित किया जा सकता हैं तथा आगामी लेखापरीक्षा चक्र में लिया जा सकता है और कुछ अन्य विषय लिए जा सकते है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार द्वारा एक वैकल्पिक विषय (मुख्यमंत्री जन कल्याण संबंल योजना) का सुझाव दिया गया और सहर्ष स्वीकार किया गया।

8."सी.एम. जन कल्याण सम्बल योजना के कियांवयन पर लेखापरीक्षा" विषय पर सदस्यों ने निम्नानुसार सुझाव एवं निविष्टियां दी :–

श्री योगेश कुमार, कार्यकारी निदेशक, समर्थन ने सुझाव दिया कि लेखापरीक्षा को कम पंजीकरण के कारणों की बाधाओं की पहचान करनी चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि कितनो ने आवेदन किया कितनो को अस्वीकृत किया गया, इस संबंध में कारणों का विश्लेषण किया जाना चाहिए।

आगे सभी सदस्यों ने कहा कि यह बहुत उपयोगी योजना थी और इसे लेखापरीक्षा योजना में लिया जाना चाहिये।

श्री डी.साहू, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–1) ने समिति को सूचित किया कि विभाग इस योजना पर लेखापरीक्षा संचालित करने के लिए इच्छुक/तैयार है। प्रधान सचिव ने सूचित किया कि इस योजना के लिए ना तो स्थानीय निधि लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा और ना ही सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित की गई हैं। इसलिए यह एक अनुरोध लेखापरीक्षा है।

9."कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, अनाथालयों की पर्याप्तता पर लेखापरीक्षा" विषय पर श्री संजय साहू, उप महालेखाकार/ए.एम.जी.2 एवं 4 ने सूचित किया कि कोलकाता कार्यालय इस विषय के लिए अग्रणी कार्यालय था तथा दिशा–निर्देश तैयार करने का कार्य जारी है। जैसे दिशा–निर्देश प्राप्त होंगे, यह विषय लिया जाएगा।

10."जन स्वास्थ्य अधोसंरचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन पर लेखापरीक्षा" विषय पर श्री डी.साहू, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I) ने समिति को बताया कि दिशानिर्देशों के तैयार होने के बाद इसे मुख्यालय कार्यालय को भेजा जा चुका है। उन्होंने आगे कहा कि श्री मो.सुलेमान, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य ने व्यापक लेखापरीक्षा संचालित करने हेतु सूचित किया है। वर्तमान में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्य चल रहा है।

11."नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना पर लेखापरीक्षा" विषय पर श्री डी.साहू, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I) ने कहा कि लेखापरीक्षा जन, मशीन, उपकरण एवं उपभोग्य पहलुओं को देखेगी कि क्या ये पर्याप्त थे या नही। उन्होंने आगे कहा कि लेखापरीक्षा के दौरान प्रकरण यथा बेकार पड़े उपकरण, उपभोग्य साम्रगी का उपलब्ध ना होना, मशीन चलाने के लिए विद्युत कनेक्शन का ना होना ये सब देखे जाएंगे।

श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जन–मशीन असंतुलन हमेशा होता है। अतः उपलब्ध जनशक्ति की तर्कसंगत तैनाती के प्रकरण को विस्तार से देखा जाना चाहिये।

12. सेलेक्ट लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं की लेखापरीक्षा विषय पर विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं जो पूर्ण की गयी थीं और अपूर्ण थीं पर चर्चा की गयी। सदस्यों ने दो अपूर्ण परियोजनाओं और एक पूर्ण परियोजना लेने का सुझाव दिया। इस प्रकार चर्चा के दौरान तीन परियोजनाओं का चयन किया गया यथा (i) नर्मदा–झाबुआ–पेटलावाड–थांडला–सरदारपुर माइक्रो लाइफ सिंचाई परियोजना (60 प्रतिशत पूर्ण) (ii) नर्मदा मालवा–धंबीर लिंक परियोजना (100 प्रतिशत पूर्ण) तथा (iii) इंदिरा सागर परियोजना (आई एस पी) –काली सिंध लिंक परियोजना (फेस–I) जो कि 59 प्रतिशत पूर्ण हुआ है का चयन किया गया है।

दूसरे सत्र में, वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2022–23 के विषयों पर कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II) भोपाल का पी.पी.टी. दिया गया तथा सदस्यों द्वारा निम्नलिखित सुझाव निविष्टियॉ दी गयीं :–

1.राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा मध्यप्रदेश में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एवं प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के कियान्वयन पर लेखापरीक्षा विषय पर विषय की प्रासंगिकता पर सभी सदस्य सहमत हुये तथा एक ठोस लेखापरीक्षा संचालित करने की इच्छा जाहिर की ।

2.नगरीय/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर लेखापरीक्षा विषय पर श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि लेखापरीक्षा कम के दौरान परियोजना की स्व–स्थिरता के पहलू को देखा जाना चाहिये ।

3. एकीकृत वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली (आई.एफ.एम.आई.एफ.) के कियान्वयन पर लेखापरीक्षा विषय पर सदस्यों ने निम्नानुसार सुझाव/निविष्टियॉ दी :–

श्री डी.साहू, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I) ने कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं जिसकी लेखापरीक्षा दोनों ही कार्यालय करते हैं, आई.एफ.एम.आई.एस. द्वारा कियान्वित की जा रही हैं इसलिये स्वीकृति की शुद्धता ध्यानपूर्वक देखी जानी है। एक स्वीकृति आदेश विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न जिलों में उपयोग किया जा रहा है, जोकि आई टी माड्यूल एवं डाटा मान्यकरण का एक बड़ा दोष है ।

श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि संपूर्ण प्रणाली पुर्नगठित की जानी चाहिये तथा सभी माड्यूल्स की पूर्णतः जॉच की जानी चाहिये। उन्होंने आगे कहा कि लेखापरीक्षा को लेखापरीक्षा के दौरान जॉच करनी चाहिये कि सिस्टम नियमित रूप से अद्यतन किया गया है या नहीं।

श्री राजीव दुबे, सी.ए. ने कहा कि विभिन्न माड्यूल्स के मद्देनजर डाटा एकीकरण को देखा जाना चाहिए/पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा उन्होंने यह भी कहा कि डाटा एकीकरण लेखापरीक्षा भी संचालित की जानी चाहिए।

4.नगरीय/भाहरी स्थानीय निकायों में जलापूर्ति प्रबंधन पर लेखापरीक्षा विषय पर सदस्यों ने निम्नानुसार सुझाव निविष्टिया दीः–

श्री डी.साहू, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम) ने कहा कि राज्य लेखापरीक्षा कार्यालयों के पुर्नगठन के पश्चात्, नगरीय/शहरी स्थानीय निकाय भोपाल कार्यालय को हस्तांतरित कर दिया गया हैं। उन्होंने आगे जोड़ा कि यू.एल.बी. ने केन्द्रीय सरकार को रिर्पोट किया है कि वे नगरीय/शहरी क्षेत्रों में छह घंटे जल की आपूर्ति कर रहे हैं तथापि जब इस कार्यालय ने यू.एल.बी. के अभिलेखों की समीक्षा की तो यह पाया गया हैं कि जलापूर्ति प्रति दिन मात्र आधे घंटे की गई थी। उन्होंने दोहराया कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह पेयजल की दृष्टि में घाटे का कार्य है। अतः ये सभी पहलू भी लेखापरीक्षा कम के दौरान देखे जाने चाहिए।

श्री राहुल नरोन्हा, सह संपादक, इंडिया टूडे, ने सुझाव दिया कि सभी यू.एल.बी. द्वारा जलापूर्ति प्रतिदिन 24 घंटे की जानी चाहिए।

श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि लेखापरीक्षा को अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एडं अर्बन ट्रान्स्फार्मेशन (अमृत) के पहलू पर ध्यान देना चाहिए कि इसने यू.एल.बी. में जलापूर्ति की वर्तमान स्थिति में कितनी वृद्वि की है।

डॉ. मो. सुहेल फजल, उप महालेखाकार (ए.एम.जी–1 एवं 3) ने इस प्रकरण पर प्रकाश डाला/प्रबुद्व किया एवं निम्नलिखित बाते कहीं:–

नगरीय विकास मंत्रालय ने नौ मानकों वाला एक सेवा स्तरीय मानदंड विकसित किया है। यू.एल.बी. के आयुक्त द्वारा राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित उपलब्धियों के अनुसार जल क्षय ''शून्य प्रतिशत'' था, जो कि सही नहीं है, क्योंकि तीन प्रतिशत जल क्षय मात्र वाष्पीकरण द्वारा ही था।

उन्होंने कहा कि लेखापरीक्षा के दौरान हमने जल क्षय की गणना की जो कि 40 प्रतिशत था, जबकि कुछ प्रकरणों में क्षय 60 से 62 प्रतिशत की रेंज में था। तथापि उन्होने कहा कि निर्गम सम्मेलन में विभाग ने अंत में जलक्षय की पृष्टि की।

उन्होंने यह भी कहा कि अमृत मिशन 2015 में आरम्भ किया गया था तथापि आवंटन 2017–18 में किया गया था। अमृत मिशन में पूरे पाइपलाइन बदले बिना पाइपलाइन के कुछ हिस्से बदले गए थे कोई प्रेशर सिस्टम/दबाव प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी। एस.सी.ए.डी.ए. (पर्यवेक्षण नियंत्रण एवं डाटा अर्जन) निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने वाला एक महंगा यंत्र है जो कि अक्रियाशील रखा गया था।

यू.एल.बी. के पास जलापूर्ति प्रणाली का कोई प्रोफाइल डिजाइन नहीं था, जिसके कारण उन्हें बिछाए गए पाइपलाईन में रिसाव का पता लगाने के लिए पूरे स्थान में खुदाई किए जिसके कारण यह एक समय लगने वाली एंव महंगी गतिविधि भी बन गई।

5. राज्य, उत्पाद भुल्क के एकत्रण करारोपण एवं मूल्यांकन पर लेखापरीक्षा विषय पर सदस्यों ने निम्नानुसार सुझाव/निविष्टियां दीः

श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव ने उपर्युक्त विषय पर निम्नलिखित सुझाव/निविष्टियां दीः

उन्होंने कहा कि आबकारी उत्पाद शुल्क का करारोपण करने का मुख्य उद्देश्य उपभोग को कम करना था तथा सरकार द्वारा सामाजिक तौर पर आवंटित मदों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उन्होंने आगे जोड़ा कि उत्पाद शुल्क एक आर्थिक दंड के रूप में करारोपित किया जाता हैं ताकि उपभोग कम किया जा सके, यद्यपि राजस्व सृजन मात्र एक प्रतिफल है।

उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में आबकारी दुकानों का घनत्व देश में सबसे कम है। लोगों में यह धारणा है कि दुकानों की कम संख्या का अर्थ उत्पाद का कम विक्रय है, लेकिन यह मुद्दा नहीं था। इससे अवैधानिक शराब को बढ़ावा मिलेगा,जिससे मृत्यु भी हो सकती है। इसे पर्याप्त रूप से लाईसेंसीकृत शराब की दुकाने खोलकर कम किया जा सकता है।

उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में मद्यशाला खोलना एक उद्योग है और इस क्षेत्र में नए खिलाड़ियो को लाईसेंस प्रदाय द्वारा प्रतिर्स्पधा सृजित की जानी चाहिए और एकाधिकार खत्म करना चाहिये। प्रतिर्स्पधा गुणवत्ता में वृद्वि करती है और उपभोक्ताओं को लाभान्वित करती हैं।

श्री राहुल नरोन्हा, सह संपादक, इंडिया टुडे ने कहा है कि उत्पाद शुल्क की दरों को पड़ोसी राज्यों में ऐसे पड़ोसी राज्यों से उत्पाद शुल्क की कम प्राप्ती के संदर्भ में तुलना की जाना चाहिए। उच्च दरों के कारण पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी की जा रही थी।

6.म0प्र0 राज्य वित्तीय निगम द्वारा अनर्जक परिसंपत्तियों की स्वीकृति, ऋणों की वसूली एवं प्रबंधन पर लेखापरीक्षा विषय पर सदस्यों ने निम्नानुसार (सुझाव) निर्विष्टियां दी :–

श्री एम.के.श्रीवास्तव, ने कहा कि पूर्व में स्वीकृत एवं संवितरित राशियों में बड़ी मात्रा में अंतर था जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में घोटाले हुए हैं। तथापि अभी पी.पी.टी. में प्रस्तुत किये गये आकड़े एक स्वस्थ दृश्य दर्शाते है।

श्री राजीव दुबे, सी.ए. ने कहा कि वसूलियों के प्रकरणों में और अप्राप्तियों के प्रकरणों में भी कोलैटरल्स पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कुछ प्रकरणों में विभिन्न बिन्दुओं पर समान भूमि कोलैटरल के रूप में भी उपयोग की जा रही थी, क्योंकि खसरा में कोई प्रविष्टि नहीं की गयी। उन्होंने एन.पी.ए. खातों के प्रकरणों में भी कोलैटरल की स्थिति में ध्यान देने के लिए कहा कि क्या प्रभार सृजित किया गया या नहीं, यदि सृजित किया गया तो खसरा में प्रविष्टियां की गयी है या नहीं।

7. म0प्र0 विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड के बिजली घरों के संचालन एवं संधारण विशय पर लेखापरीक्षा :–

श्री डी.साहू, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम) ने कहा है कि लेखापरीक्षा हेतु यह एक रोचक विषय है। उन्होंने कहा कि लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा जाना चाहिए की क्या उपकरण वास्तविक उपकरण उत्पादक से खरीदे जाते हैं या नहीं। उन्होंने इस प्रकरण पर झारखंड के प्रतिवेदन का उदाहरण दिया और कहा कि इस प्रतिवेदन को संदर्भित किया जा सकता है।

8. म0प्र0 विद्युत संचरण/वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा ई.एच.टी. लाईन्स एंव सब स्टेशन के निर्माण पर लेखापरीक्षा

श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव ने लाईन नुकसान एवं संचारण नुकसान पर भारी व्यय होने के पश्चात इन पर परिणाम मूल्यांकन के पहलू पर ध्यान देने के लिये कहा।

श्री डी. साहू, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा –प्रथम) ने उपर्यक्त में जोड़ते हुए कहा कि कई प्रकरणों में बिजली संचारण नहीं था यहां तक की निर्मित किये गये हाई टेंशन लाईन में भी, लेखापरीक्षा के दौरान इस पर भी ध्यान दिया जायेगा।

श्री बिजित कुमार मुखर्जी महालेखाकार (लेखापरीक्षा–द्वितीय) भोपाल एवं पदेन सदस्य महोदय ने सभी सदस्यों के प्रति अपनी अभीस्वीकृति व्यक्त की तथा सदस्यों द्वारा दिये गये बहूमूल्य निर्विष्टयों की सराहना की।

अंत में श्री डी. साहू अध्यक्ष (पी.ए.जी.) ने कहा कि महामारी के पश्चात् बैठक आयोजित करना एक स्वागत योग्य बदलाव था। उन्होने सभी सदस्यों को उनका कीमती समय निकालकर बैठक के लिये समय देने तथा उनके बहूमूल्य सुझावों/निर्विष्टयों जो कि लेखा परीक्षा प्रकिया को सुदृढ़ करने में सहायक होंगी के लिये गहरा आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यदि आगे कोई सुझाव और लेने योग्य विषय ई–मेल, टेलीफोन या वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से दिया जाता है तो उसकी सराहना की जाएगी।

आगे बाह्य सदस्यों द्वारा राज्य स्तरीय लेखापरीक्षा और लेखा अकादमी खोलने के प्रस्ताव पर भी एक संक्षिप्त चर्चा की गई जिस पर श्री डी.साहू, अध्यक्ष (पी.ए.जी.) ने आश्वस्त किया कि इस मुद्दे पर गौर किया जाएगा।

बैठक का समापन डॉ. मो0 सुहेल फजल, उप महालेखाकार/ए.एम.जी.1 एवं 3 तथा सदस्य सचिव–सह–संयोजक द्वारा सभी बाह्य एवं आंतरिक सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

सभी बाह्य सदस्यों ने वार्षिक लेखापरीक्षा योजना के चयनित विषयों की सराहना की क्योंकि वे प्रासंगिक और लोक/जन केंद्रित हैं।

उप महालेखाकार/ए.एम.जी.1 एवं 3 तथा
सदस्य सचिव सह–संयोजक

29/4 4/5 29/4/22

क्रं. एमजी –3/ ए.पी.डी.ए.सी./एस.ए.ए.बी./बैठक कार्यवृत्त/ दिनांक 04.2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित है–

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–1) म0प्र0 ग्वालियर
2. सचिव, महालेखाकार (लेखापरीक्षा–2) म0प्र0 भोपाल
3. उपमहालेखाकार (ए.एम.जी.–1 एवं प्रशासन)
4. उप महालेखाकार (ए.एम.जी.–2)
5. उप महालेखाकार (ए.एम.जी.–1)
6. उप महालेखाकार (ए.एम.जी.–6)
7. व.उप महालेखाकार (ए.एम.जी.–1 एवं प्रशासन) कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा–2) म0प्र0 भोपाल
8. उप महालेखाकार (ए.एम.जी.–4) कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा–2) म0प्र0 भोपाल
9. व.उप महालेखाकर (ए.एम.जी.–2) कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा–2) म0प्र0 भोपाल
10. उप महालेखाकार (ए.एम.जी.–3) कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा–2) म0प्र0 भोपाल
11. श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, सेवा निवृत्त आई.ए.एस.
12. प्रो. एस.कोटेश्वर राव, उप कुलाधिपति राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर
13. प्रो. राजेन्द्र साहू निदेशक ए.बी.वी.– आई.आई.आई.टी.एम. ग्वालियर
14. सुश्री निशी मिश्रा, प्राचार्य सिंधिया कन्या विद्यालय, ग्वालियर
15. श्री राजीव कुमार दुबे, सनदी लेखाकार, इंदौर
16. सुश्री भक्ति शर्मा, राष्ट्रीय संयोजक, सरपंच बरखेड़ी अब्दुला ग्राम पंचायत, भोपाल
17. श्री राहुल नोरोन्हा, सह–संपादक, इंडिया टूडे
18. डॉ. परशुराम तिवारी, सामाजिक विशेषज्ञ, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एंव नीति विश्लेषण संस्थान
19. श्री योगेश कुमार, कार्यकारी निदेशक, समर्थन, गैर सरकारी संस्था।
20. सुश्री निराशा देवी, अध्यक्ष सरस्वती देवी, स्वंय सहायता समूह
21. सुश्री वैशाली चौधरी अध्यक्ष प्रेरणा शक्ति स्वंय सहायता समूह
22. व.ले.प.अ./रिपोर्ट–प्रथम एवं द्वितीय

उप महालेखाकार (एमजी–1 एवं 3)
तथा सदस्य सचिव सह–संयोजक

29/4 4/5 29/4/22